

नं. 2-19/2019-ले.री.हे.स्कू

भारत सरकार

लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल

बाड़ा हिंदू राव, दिल्ली -110006

दिनांक, 06 अगस्त 2019

सेवा मे,

अनुभाग अधिकारी,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (नर्सिंग अनुभाग),

निर्माण भवन,

नई दिल्ली।


विषय: - अनुबंध के आधार पर लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली में सलाहकार और लेखाकार की नियुक्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक .25.28015 / 76/2016-N दिनांक 16/07/2019 के संदर्भ में और लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली में सलाहकार और लेखाकार की नियुक्ति के प्रस्ताव के साथ संलग्न करना। इसलिए, आपको अनुरोध है कि प्रस्ताव को जल्द से जल्द स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट में प्रकाशन के लिए एनआईसी में आगे बढ़ाएं।

आपका आभारी,

संलग्न: जैसा कि ऊपर

  
(श्रीमती गीता मलिक)  
प्रधान नर्सिंग अधिकारी

नं. 2-19/2019-ले.री.हे.स्कू

भारत सरकार

लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल

बाड़ा हिंदू राव, दिल्ली -110006

दिनांक, 06 अगस्त 2019


### परिपत्र

विषय: लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली में अनुबंध के आधार पर सलाहकार की नियुक्ति ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के रूप में सगाई के लिए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी से आवेदन आमंत्रित करता है, सलाहकार लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली -06 में तैनात किया जाएगा। सलाहकार की सगाई के विस्तृत नियम और शर्तों को रद्द कर दिया गया है। पात्रता मानदंड और अन्य विवरण इस प्रकार हैं: -

1.	सलाहकार की संख्या अनुबंध के आधार पर	01
2.	आयु सीमा	आवेदन की तारीख के अनुसार अधिकतम 65 वर्ष
3.	असाइनमेंट का स्थान	लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली -06
4.	पात्रता	सेवानिवृत्त एसओ / एसओ और केंद्रीय सिविल सेवा में प्रशासन का ज्ञान होना।
5.	असाइनमेंट	अनुबंध- I के अनुसार

इच्छुक व्यक्ति इस परिपत्र के दो सप्ताह के भीतर लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, बारा हिंदू राव, दिल्ली -110006 को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रारूप में अपना विवरण प्रस्तुत करते हैं।

  
(श्रीमती गीता मलिक)

प्रधान नर्सिंग अधिकारी

कॉपी:-

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट में परिपत्र प्रकाशित करने के लिए एनआईसी को आगे कॉपी करें।
2. अनुभाग अधिकारी, (नर्सिंग अनुभाग) निर्माण भवन, नई दिल्ली।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल में सलाहकार  
के आवेदन के लिए आवेदन पत्र

नाम  
पिता का नाम  
जन्म की तारीख  
आधार नंबर

पासपोर्ट आकार की  
तस्वीर चिपकाये

सेवानिवृत्ति की तिथि  
ऑफिस जहां पिछली बार काम किया था  
पदनाम पिछले आयोजित किया  
अंतिम वेतन आहरित

पेंशन  
टेलीफोन नंबर  
मोबाइल नंबर  
ईमेल आईडी  
डाक पता  
स्थायी पता

शैक्षिक योग्यता

कार्य अनुभव (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट जोड़ें)

संगठन / संस्थान	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पियां
	कब से	कब तक		

स्थान

दिनांक

(हस्ताक्षर)

अनुबंध-II

कार्य:	पदों की संख्या
<p>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) के तहत लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल (LRHS) के निम्न मामलों में सहायता करने के लिए।</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित मामले।</li><li>2. पद भरने से संबंधित मामले।</li><li>3. पदों का पुनरुद्धार</li><li>4. नई पोस्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव।</li><li>5. लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल से संबंधित सेवा मामलों पर कोर्ट केस।</li><li>6. आरआर और अन्य प्रशासनिक मामलों के संशोधन से संबंधित मामले।</li><li>7. MACP का अनुदान।</li><li>8. निविदाओं को बुलाने का प्रस्ताव।</li><li>9. बजट तैयार करना।</li><li>10. पेंशन मामले।</li></ol>	01

## अनुबंध-II

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली में एकाउंटेंट की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें।

1. परामर्शदाता नियंत्रित अधिकारी द्वारा सौंपी गई सेवाओं को पूरा करेगा।
2. सामान्य कामकाज का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 30 मिनट के लंच ब्रेक के साथ दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे सोमवार से शनिवार तक केवल दूसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी।
3. सलाहकार को पूर्व अनुमति के साथ लाभ प्राप्त करने के लिए नियुक्ति के एक वर्ष के दौरान 8 दिनों के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा।
4. विशेष परिस्थितियों में सलाहकार को छुट्टियों पर या सामान्य कामकाजी घंटों से परे सेवाओं के लिए बुलाया जा सकता है।
5. अनुबंध की नियुक्ति आवश्यकता के अनुसार अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए है, एमआरएचएफडब्ल्यू के तहत एलआरएचएस में।
6. सलाहकार को टीडीएस आदि के अधीन अंतिम वेतन आहरित माइनस पेंशन के फार्मूले के अनुसार एक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। एक महीने में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक बाद के महीने में देय होगा। आधिकारिक दौरे पर टीए / डीए को छोड़कर कोई अन्य भत्ता उन्हें स्वीकार्य नहीं होगा। टीए / डीए पात्रता वही होगी जो सेवा से सेवानिवृत्ति के समय उसके लिए हकदार थी।
7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की जांच/समीक्षा करने का अधिकार होगा।
8. वह सभी आवश्यक कौशल, परिश्रम, दक्षता और अर्थव्यवस्था के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करेगा।
9. एलआरएचएस, एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक को चिकित्सा कवर की लागत को कवर करने के लिए एक तत्व शामिल माना जाता है, यदि कोई हो।
10. LRHS, MOHFW किसी भी नुकसान, दुर्घटना, क्षति / चोट के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, जो भी यात्रा सहित अपने काम के निष्पादन में या उससे उत्पन्न होता है।
11. सेवा की शर्तों के दौरान, वह पेशेवर गतिविधि के किसी भी निजी व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा जो सरकार के हित के साथ संघर्ष कर सकता है।
12. वह सभी आधिकारिक सूचनाओं को गोपनीय मानता है और सेवाओं के प्रदर्शन के उद्देश्य से ही इसका उपयोग करता है।
13. सेवाओं को एक महीने के नोटिस देकर दोनों तरफ से समाप्त किया जा सकता है।

नं. 2-19/2019-ले.री.हे.स्कू

भारत सरकार

लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल

बाड़ा हिंदू राव, दिल्ली -110006

दिनांक, 06 अगस्त 2019


### परिपत्र

विषय: लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली में अनुबंध के आधार पर लेखाकार की नियुक्ति ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर एकाउंटेंट के रूप में नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी से आवेदन आमंत्रित करता है, लेखाकार को लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली -06 में पोस्ट किया जाएगा। लेखाकार की नियुक्ति के विस्तृत नियम और शर्तें संलग्न हैं। पात्रता मानदंड और अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

1.	एकाउंटेंट की संख्या अनुबंध के आधार पर	01
2.	आयु सीमा	आवेदन की तारीख के अनुसार अधिकतम 65 वर्ष
3.	असाइनमेंट का स्थान	लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली -06
4.	पात्रता	खातों और अन्य वित्तीय मामलों का ज्ञान रखने वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति।
5.	असाइनमेंट	अनुबंध- I के अनुसार

इच्छुक व्यक्ति इस परिपत्र के दो सप्ताह के भीतर लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, बारा हिंदू राव, दिल्ली -110006 को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रारूप में अपना विवरण प्रस्तुत करते हैं।

  
(श्रीमती गीता मलिक)  
प्रधान नर्सिंग अधिकारी

कॉपी:-

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट में परिपत्र प्रकाशित करने के लिए एनआईसी को आगे कॉपी करें।
2. अनुभाग अधिकारी, (नर्सिंग अनुभाग) निर्माण भवन, नई दिल्ली।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल में एकाउंटेंट

के आवेदन के लिए आवेदन पत्र

नाम

पिता का नाम

जन्म की तारीख

आधार नंबर

पासपोर्ट आकार की  
तस्वीर चिपकाये

सेवानिवृत्ति की तिथि

ऑफिस जहां पिछली बार काम किया था

पदनाम पिछले आयोजित किया

अंतिम वेतन आहरित

पेंशन

टेलीफोन नंबर

मोबाइल नंबर

ईमेल आईडी

डाक पता

स्थाई पता

शैक्षिक योग्यता

कार्य अनुभव (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट जोड़ें)

संगठन / संस्थान	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणियां
	कब से	कब तक		

स्थान

दिनांक

(हस्ताक्षर)

अनुबंध-1

कार्य:	पदों की संख्या
<p>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) के तहत लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल (LRHS) के निम्न मामलों में सहायता करने के लिए।</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. बजट तैयार करना।</li><li>2. पेंशन मामले।</li><li>3. आयकर।</li><li>4. नकदी संबंधी कार्य।</li><li>5. व्यय बनाए रखना।</li><li>6. लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल के अन्य वित्तीय मामले।</li></ol>	01

## अनुबंध-II

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली में एकाउंटेंट की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें।

1. परामर्शदाता नियंत्रित अधिकारी द्वारा सौंपी गई सेवाओं को पूरा करेगा।
2. सामान्य कामकाज का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 30 मिनट के लंच ब्रेक के साथ दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे सोमवार से शनिवार तक केवल दूसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी।
3. सलाहकार को पूर्व अनुमति के साथ लाभ प्राप्त करने के लिए नियुक्ति के एक वर्ष के दौरान 8 दिनों के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा।
4. विशेष परिस्थितियों में सलाहकार को छुट्टियों पर या सामान्य कामकाजी घंटों से परे सेवाओं के लिए बुलाया जा सकता है।
5. अनुबंध की नियुक्ति आवश्यकता के अनुसार अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए है, एमआरएचएफडब्ल्यू के तहत एलआरएचएस में।
6. सलाहकार को टीडीएस आदि के अधीन अंतिम वेतन आहरित माइनस पेंशन के फार्मूले के अनुसार एक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। एक महीने में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक बाद के महीने में देय होगा। आधिकारिक दौरे पर टीए / डीए को छोड़कर कोई अन्य भत्ता उन्हें स्वीकार्य नहीं होगा। टीए / डीए पात्रता वही होगी जो सेवा से सेवानिवृत्ति के समय उसके लिए हकदार थी।
7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की जांच/समीक्षा करने का अधिकार होगा।
8. वह सभी आवश्यक कौशल, परिश्रम, दक्षता और अर्थव्यवस्था के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करेगा।
9. एलआरएचएस, एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक को चिकित्सा कवर की लागत को कवर करने के लिए एक तत्व शामिल माना जाता है, यदि कोई हो।
10. LRHS, MOHFW किसी भी नुकसान, दुर्घटना, क्षति / चोट के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, जो भी यात्रा सहित अपने काम के निष्पादन में या उससे उत्पन्न होता है।
11. सेवा की शर्तों के दौरान, वह पेशेवर गतिविधि के किसी भी निजी व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा जो सरकार के हित के साथ संघर्ष कर सकता है।
12. वह सभी आधिकारिक सूचनाओं को गोपनीय मानता है और सेवाओं के प्रदर्शन के उद्देश्य से ही इसका उपयोग करता है।
13. सेवाओं को एक महीने के नोटिस देकर दोनों तरफ से समाप्त किया जा सकता है।